न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: **433/2022** दायर दिनाँक **14.11.2022**

वादीगण

1. गणेशाराम पुत्र बिरमाराम
2. राजूराम पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासीगण तेजासर तहसील मौलासर जिला नागौर राज.

बनाम्

प्रतिवादी

1. रजनी पत्नी प्रदीप जाति जाट निवासी बरांगना तहसील डीडवाना
2. सुमन गेणा पुत्री नेमाराम जाति जाट निवासी निम्बी जोधा तहसील लाडनूं
3. कैलाश चौधरी पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी बरांगना तहसील डीडवाना जिला नागौर
4. तहसीलदार मौलासर

राजस्व–वाद बाबत्
घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act. 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी एडवोकेट वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.08.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बेडवा, पटवार हल्का बेगसर के खसरा संख्या 1205/294 रकबा 1.7100 हैक्टेयर वादीगण के नाम हैं तथा खसरा संख्या 292, 293, 294 रकबा क्रमशः 0.0100, 0.0300, 3.6600 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम है। उक्त खेत के पूर्व में खसरा नम्बर 113 रहे हैं। जिसका कुल रकबा 33 बीघा 08 बिस्वा रहा है तथा तत्समय उक्त खेत के खातेदार गोविन्दसिंह पुत्र रामभरोसे रहे हैं। जिन्होने उक्त खते में से 22 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनांक 07.03.2019 को वादीगण को विक्रय कर दी तथा उक्त भूमि पडौस अंकित कर विक्रय की। इसके पश्चात् उक्त भूमि का नामान्तरण बैचाण के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो गया। इसी खसरे में से बची हुई शेष भूमि रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बैचाण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम कर दी तथा उक्त नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो गया। इसके पश्चात वर्तमान में राजस्व अधिकारियों व कर्मचरियों ने नक्शे में तरमीम करते समय सहवन से वादीगण के नाम 22 बीघा 17 के स्थान पर नया खसरा बनाकर 1.7100 है. दर्ज कर दिया तथा तरमीम भी गलत अंकित कर दी। वादीगण के नाम 22 बीघा 17 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिए थी एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना चाहिए था। प्रतिवादीगण संख्या [illegible] पुराने खसरा नम्बर 113 जिसके नये खसरा नम्बर 2[illegible] में से केवल 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी [illegible] उक्त भूमि का रकबा जो वादीगण के नाम दर्ज होना चाहिए था [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज होना चाहिए था वह वादीगण के नाम दर्ज कर दि[illegible] जिससे दावा रेकर्ड दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा का करना लाजमी आया है।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:18:40 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की प्रार्थना इस प्रकार है:–

डिक्री बाबत रेकर्ड दुरूस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की फरमायी जावें कि वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्तसुदा वादग्रस्त खेत मौजा बेडवा, पटवार हल्का बेगसर के खसरा संख्या 1205/294 का रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर 22 बीघा 17 बिस्वा दुरूस्त किया जावे एवं वाद के साथ प्रस्तुत नक्शे के अनुसार तरमीम की जावें तथा खसरा नम्बर 292, 293, 294 का रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 10 बीघा 11 बिस्वा अंकित कर दुरूस्त किया जावे तथा नजरी नक्शे के अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता सुरेश इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1316 दिनांक 05.10.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 292, 293, 294, 1205/294 जिनके तात्कालिक खसरा नं. 1133 जो कि पूर्व में गोविन्द सिंह पुत्र रामभरोसे निवासी जयपुर के नाम दर्ज था। गोविन्दसिंह द्वारा इसमें से 22 बीघा 17 बिस्वा दिनांक 25.03.2019 द्वारा वादीगण गणेश वगैरह के नाम विक्रय पत्र नामान्तकरण संख्या 13363 द्वारा दर्ज किया गया जिसके नये खसरा नम्बर 690/113 रकबा 22–17 बने। एवं प्रतिवादी रजनी वगैरह को 10 बिघा 11 बिस्वा विक्रय की गई जिसका नामान्तकरण संख्या 1363 दिनांक 25.03.2019 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जिसके नये खसरा नम्बर 111 रकबा 10–11 बिघा बने। वक्त सेग्रीगेसन वादी गणेश वगैरह के नये खसरा नम्बर 1205/294 रकबा 1.71 है बनाये गए जबकि वादीगण के 3.69 है. (22 बीघा 17 बिस्वा) हिस्सा बनना था। प्रतिवादी रजनी वगैरह के खसरा नम्बर 294, 293, 292 रकबा कमशः 3.66, 0.03, 0.01 बने जबकि प्रतिवादी के हिस्सा 10–11 बिघा बनना था।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता विक्रय पत्र अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की तरमीम शुद्ध किये जाने निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। विक्रय पत्र अनुसार वादीगण द्वारा पूर्व के खसरा नम्बर 113 रकबा 33 बीघा 08 बिस्वा में से 22 बीघा 17 बिस्वा भूमि खरीद की है एवं प्रतिवादीगण द्वारा इस खसरे में से 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि अडौस पडोस दर्शाते हुए खरीद की है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वक्त सेग्रीगेसन वादी गणेश वगैरह के नये खसरा नम्बर 1205/294 रकबा 1.71 है बनाये गए जबकि वादीगण के 3.69 है. (22 बीघा 17 बिस्वा) हिस्सा बनना था। प्रतिवादी रजनी वगैरह के खसरा नम्बर 294, 293, 292 रकबा कमशः 3.66, 0.03, 0.01 बने जबकि प्रतिवादी के हिस्सा 10–11 बिघा बनना था। अतः उक्त विवेचनो के आधार पर वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:18:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश:–

सरहद मौजा बेडवा, पटवार हल्का बेगसर के खसरा संख्या 1205/294 का रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर 22 बीघा 17 बिस्वा

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खसरा नम्बर 292, 293, 294 का रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 10 बीघा 11 बिस्वा अंकित कर दुरूस्त किया जाकर पक्षकारान का स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 13.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:18:40 IST
Reason: SelfAttested